करेंट अफेयर्स

11 अगस्त 2022

अभिभावकों और नाबालिगों को गोद लेने पर

पाठ्यक्रम: जीएस पेपर -2 (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप)

संदर्भ: कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने संसद के दोनों सदनों में 'संरक्षकता और दत्तक ग्रहण कानूनों की समीक्षा' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट पेश की है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- **अभिभावकों के रूप में माताओं को समान अधिकार:** हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम (एचएमजीए), 1956 में संशोधन करें और माताओं को अपने पति के अधीनस्थों के रूप में व्यवहार करने के बजाय इस अधिनियम के तहत अभिभावकों के रूप में समान अधिकार प्रदान करें।
- **बच्चे की संयुक्त हिरासत:** वैवाहिक विवाद के मामलों में, बाल हिरासत पर फिर से विचार करने की आवश्यकता होती है जो आमतौर पर केवल एक माता-पिता तक सीमित होती है जहां माताओं को वरीयता मिलती है। इसमें कहा गया है कि अदालतों को माता-पिता दोनों को संयुक्त हिरासत देने का अधिकार दिया जाना चाहिए जब इस तरह का निर्णय बच्चे के कल्याण के लिए अनुकूल हो।
- **बच्चे को गोद लेना:** इसने एलजीबीटीक्यू समुदाय को बच्चों को गोद लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है।
- **नाजायज बाल शब्द का लोप करें:** एचएमजीए अधिनियम, 1956 विवाह से पैदा हुए बच्चे के संदर्भ में 'नाजायज' शब्द का उपयोग करता है। समिति ने सिफारिश की कि 'नाजायज' शब्द को छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी बच्चा नाजायज नहीं है और कानून सभी बच्चों के लिए समान होना चाहिए, चाहे वे विवाह के भीतर या बाहर पैदा हुए हों।

गार्जियनशिप और गोद लेने पर कानून क्या कहता है?

- **हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, (एचएमजीए) 1956:** इसके तहत, नाबालिग के व्यक्ति या संपत्ति के संबंध में एक हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक पिता और उसके बाद, मां है। बशर्ते कि पांच साल की आयु पूरी नहीं करने वाले नाबालिग की हिरासत आमतौर पर मां के पास होगी।
- **मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937:** यह कहता है कि शरीयत या धार्मिक कानून संरक्षकता के मामले में लागू होगा जिसके अनुसार **पिता प्राकृतिक अभिभावक है**, लेकिन हिरासत मां के साथ निहित होती है जब तक कि बेटा सात साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता है और बेटी यौवन तक पहुंच जाती है हालांकि पिता का सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधिकार मौजूद है।
- **सुप्रीम कोर्ट का फैसला: गीता हरिहरन बनाम सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1999 में** आंशिक राहत प्रदान की। इस मामले में एचएमजीए को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत लिंगों की समानता की गारंटी का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी गई थी।
- – अदालत ने माना कि "बाद में" शब्द का अर्थ "पिता के जीवनकाल के बाद" नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि "पिता की अनुपस्थिति में" लिया जाना चाहिए। लेकिन अदालत माता-पिता दोनों को समान अभिभावकों के रूप में पहचानने में विफल रही, एक मां की भूमिका को पिता के अधीन कर दिया।
- **भारत का विधि आयोग:** विधि आयोग ने **2015 में "भारत में संरक्षकता और हिरासत कानूनों में सुधार" पर अपनी 257 वीं रिपोर्ट में सिफारिश की कि एक माता-पिता की दूसरे पर श्रेष्ठता को हटा दिया जाना चाहिए।** मां और पिता दोनों को एक साथ, एक नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावकों के रूप में माना जाना चाहिए।
- **एलजीबीटीक्यूआई द्वारा एक बच्चे को गोद लेने पर वर्तमान कानून: दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 एलजीबीटीक्यूआई** लोगों द्वारा गोद लेने पर चुप है और न तो प्रतिबंध लगाता है और न ही उन्हें बच्चे को गोद लेने की अनुमति देता है।

रैंकिंग जो कोई मतलब नहीं है

पाठ्यक्रम: जीएस पेपर -2 (शिक्षा, एनईपी, एनआईआरएफ से संबंधित सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मुद्दे)

संदर्भ: जुलाई में जारी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की रैंकिंग को काफी आलोचना मिली है।

एचईआई को समग्र, विश्वविद्यालय-वार, कॉलेज-वार और कानून, चिकित्सा, फार्मेसी, प्रबंधन, वास्तुकला और इंजीनियरिंग जैसे विषयों के तहत स्थान दिया गया है।

RACE IAS

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के बारे में

- **में लॉन्च किया गया:** शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2015।
- **उद्देश्य:** कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को रैंक करने के लिए और उन सभी की संयुक्त रूप से समग्र रैंकिंग प्रदान करता है।
- **पैरामीटर:** मापदंडों के पांच व्यापक समूहों के तहत फ्रेमवर्क न्यायाधीशों के संस्थानों के:

शिक्षण, सीखना और संसाधन (टीएलआर)

अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (आरपी)

स्नातक परिणाम (जीओ)

आउटरीच और समावेशिता (ओआई)

धारणा (पीआर)

- **श्रेणियां:** 11 श्रेणियों के लिए रैंकिंग की घोषणा की गई है। इसमें ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट, कॉलेज, फार्मेसी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एआरआईआईए (इनोवेशन अचीवमेंट्स पर संस्थानों की अटल रैंकिंग), कानून और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।

एनआईआरएफ 2022 की प्रमुख रैंकिंग

- **कुल मिलाकर: आईआईटी-मद्रास** ने इस साल भी समग्र शैक्षणिक संस्थानों और इंजीनियरिंग श्रेणियों में अपना नंबर एक स्थान बरकरार रखा है।
- **विश्वविद्यालय: भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु** लगातार सातवें वर्ष विश्वविद्यालयों की श्रेणी में सबसे ऊपर है। यह लगातार दूसरे वर्ष अनुसंधान संस्थान श्रेणी में पहले स्थान पर रहा।
- **प्रबंधन: आईआईएम अहमदाबाद** लगातार तीसरे वर्ष के लिए अपना पहला स्थान बनाए रखते हुए प्रबंधन विषयों में शीर्ष पर है।
- **मेडिकल: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली** लगातार पांचवें वर्ष के लिए मेडिकल में शीर्ष स्थान पर है।
- **कॉलेज: मिरांडा हाउस** लगातार छठे वर्ष के लिए कॉलेजों के बीच 1 स्थान बरकरार रखता है।

डेटा के साथ मुद्दे

निजी संस्थानों को एनएलयू के ऊपर रखा गया है:

- एनआईआरएफ कुछ निजी बहु-अनुशासन संस्थानों को कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों (एनएलयू) और कानून विभागों की तुलना में अधिक रखता है।
- आम तौर पर, जो छात्र एनएलयू में सीट सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, उन्हें निजी संस्थानों में प्रवेश दिया जाता है।

ये संस्थान पहली पसंद नहीं हैं:

- एनआईआरएफ रैंकिंग से पता चलता है कि एक निजी कानून विश्वविद्यालय ने धारणा में 100% स्कोर किया।
- इस स्कोर को ध्यान में रखते हुए, यह छात्रों के लिए सबसे पसंदीदा जगह होनी चाहिए थी।
- लेकिन कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट प्रवेश विकल्प अलग-अलग तस्वीर दिखाते हैं- यह संस्थान अध्ययन करने के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में 10 एनएलयू से नीचे का आंकड़ा है।

कठोर प्रणाली की कमी:

- एनआईआरएफ के तहत विभिन्न विषयों में भाग लेने वाले कुछ बहु-अनुशासन निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का विश्लेषण डेटा में हेराफेरी का सबूत प्रदान करता है।

संकाय-छात्र अनुपात:

- साक्ष्य बताते हैं कि कुछ निजी बहु-अनुशासन विश्वविद्यालयों ने एक से अधिक विषयों में एक ही संकाय का दावा किया है।

अनुसंधान में वित्त पोषण:

- अनुसंधान परियोजनाओं और परामर्श के लिए अनुसंधान वित्त पोषण रैंकिंग के लिए एक आवश्यक पैरामीटर है।
- डेटा से पता चलता है कि अन्य विषयों में प्राप्त अनुसंधान अनुदान और परामर्श शुल्क कानून में उन लोगों के रूप में दावा किया गया प्रतीत होता है।

कोई पारदर्शिता नहीं:

- एनआईआरएफ को इसमें प्रस्तुत किए गए डेटा को सभी प्रतिभागी एचईआई द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है ताकि ऐसे डेटा की जांच की जा सके।
- कुछ निजी बहु-अनुशासन विश्वविद्यालयों ने अपनी वेबसाइट पर इस तरह के डेटा तक मुफ्त पहुंच प्रदान नहीं की है; इसके बजाय, उन्हें पहुंच प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विवरण के साथ एक ऑनलाइन फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है।

डेटा में विसंगति:

- उदाहरण के लिए, वेबसाइटों पर अपलोड किए गए डेटा संकाय की संख्या, नाम, योग्यता और अनुभव पर विवरण छोड़ देते हैं।
- सभी संस्थानों के लिए समान पैरामीटर: एनआईआरएफ अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास में विभिन्न विषयों में सभी संस्थानों के लिए समान मापदंडों को लागू करता है।

प्रकाशन डेटा केवल स्कोपस और विज्ञान के वेब से:

- जबकि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यूजीसी-केयर सूचीबद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशनों को उचित महत्व देती है, एनआईआरएफ केवल स्कोपस और वेब ऑफ साइंस से प्रकाशन डेटा का उपयोग करता है।

भारत का सौर ऊर्जा का सपना

पाठ्यक्रम: जीएस पेपर -3 (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)

संदर्भ: भारत सरकार ने**2030 तक आईडीआईए की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता को 500 गीगावॉट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।**

भारत 2030 तक भारत के कुल अनुमानित सी**एर्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करने, दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने, 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का** भी लक्ष्य रख रहा है।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति

- **भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुल स्थापित क्षमता 151.4 गीगावॉट है**।
- नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुल स्थापित क्षमता का टूटना निम्नलिखित है:

  पवन ऊर्जा: 40.08 गीगावॉट

  सौर ऊर्जा: 50 गीगावाट

  बायोपावर: 10.61 गीगावॉट

  लघु पनबिजली: 4.83 गीगावॉट

  लार्ज हाइड्रो: 46.51 गीगावॉट

वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता:

- भारत में कुल 37 गीगावॉट क्षमता के 45 सौर पार्कों को अनुमोदित किया गया है।
- पावागड़ा (2 गीगावाट), कुरनूल (1 गीगावाट) और भदला-II (648 मेगावाट) में सौर पार्क देश में 7 गीगावाट क्षमता के शीर्ष 5 परिचालन सौर पार्कों में शामिल हैं।
- **गुजरात में 30 गीगावॉट क्षमता की सौर-पवन हाइब्रिड परियोजना का दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है।**

चुनौतियों

आयात पर बहुत अधिक निर्भर:

- भारत **में पर्याप्त मॉड्यूल और पीवी सेल विनिर्माण क्षमता नहीं है।**
- वर्तमान सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता प्रति वर्ष 15 गीगावॉट तक सीमित है, जबकि घरेलू उत्पादन केवल 3.5 गीगावॉट के आसपास है।

इसके अलावा, 15 गीगावॉट मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता में से, केवल 3-4 गीगावॉट मॉड्यूल तकनीकी रूप से प्रतिस्पर्धी हैं और ग्रिड-आधारित परियोजनाओं में तैनाती के योग्य हैं।

कच्चे माल की आपूर्ति:

- **सिलिकॉन वेफर, सबसे महंगा कच्चा माल, भारत में निर्मित नहीं है।**

RACE IAS

- यह वर्तमान में 100% सिलिकॉन वेफर्स और लगभग 80% कोशिकाओं का आयात करता है।
- इसके अलावा, अन्य प्रमुख कच्चे माल, जैसे कि **विद्युत संपर्क बनाने के लिए सिल्वर और एल्यूमीनियम धातु पेस्ट, भी लगभग 100% आयात किए जाते हैं।**

सरकार की पहल

विनिर्माण का समर्थन करने के लिए पीएलआई योजना:

ज् इस स्कीम में ऐसे सौर पीवी मॉड्यूलों की बिक्री पर उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) प्रदान करके उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल की एकीकृत विनिर्माण इकाइयों की स्थापना में सहायता करने के लिए प्रावधान हैं।

घरेलू सामग्री आवश्यकता (डीसीआर):

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की कुछ वर्तमान योजनाओं के तहत, अर्थात् **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II, पीएम-कुसुम, और ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II,** जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, को घरेलू स्रोतों से सौर पीवी सेल और मॉड्यूल का स्रोत बनाना अनिवार्य किया गया है।
- इसके अलावा, सरकार ने उन परियोजनाओं के लिए **केवल निर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम)** से मॉड्यूल खरीदना अनिवार्य कर दिया जो राज्य / केंद्र सरकार के ग्रिड से जुड़े हैं।

सौर पीवी सेल और मॉड्यूल के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क लगाना:

- सरकार ने **सौर पीवी सेल और मॉड्यूल के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाने की घोषणा की है।**
- इसके अलावा, इसने **मॉड्यूल के आयात पर 40% शुल्क और कोशिकाओं के आयात पर 25% शुल्क लगाया है।**
- मूल सीमा शुल्क एक विशिष्ट दर पर माल के मूल्य पर लगाया गया शुल्क है।

संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस):

- यह **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक योजना है।**
- यह योजना पीवी सेल और मॉड्यूल पर पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान करती है - विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश के लिए 20% और गैर-एसईजेड में 25%।

प्रारंभिक परीक्षा मुख्य तथ्य

विश्व जनजातीय दिवस

- विश्व जनजातीय दिवस या **विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है।**
- इसका उद्देश्य दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना और उन योगदानों को स्वीकार करना है जो स्वदेशी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व मुद्दों की ओर करते हैं।
- यह दिन **1982 में जिनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक को मान्यता देता है।**
- यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा के अनुसार, **1994 से हर साल मनाया जाता** है।
- आज तक, कई स्वदेशी लोग **गरीबी, हाशिए और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन का अनुभव करते हैं।**
- 2022 के लिए विषय **"पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संचरण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका" है।**

रक्तवाहिका-प्रदाह

- वास्कुलिटिस में **रक्त वाहिकाओं की सूजन शामिल है।** सूजन **रक्त वाहिकाओं की दीवारों को मोटा करने का कारण बन सकती है, जो पोत के माध्यम से मार्ग की चौड़ाई को कम करती है।** यदि रक्त प्रवाह प्रतिबंधित है, तो इसके परिणामस्वरूप अंग और ऊतक क्षति हो सकती है।

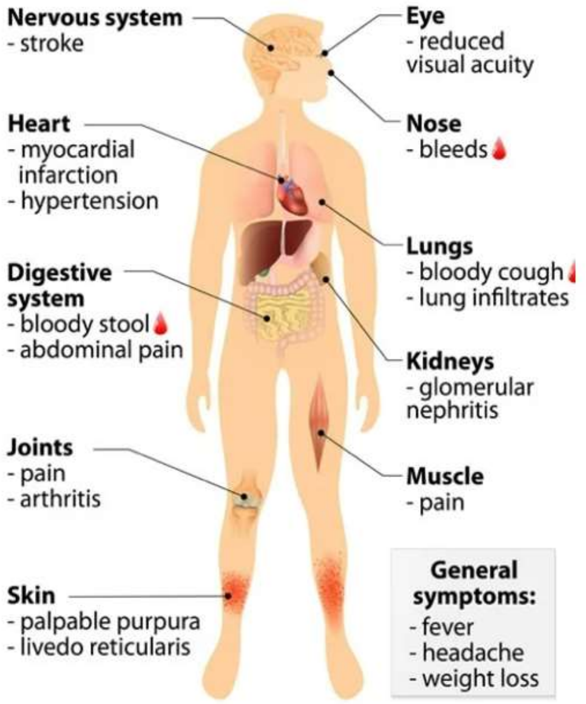

- वास्कुलिटिस के कई प्रकार हैं, और उनमें से अधिकांश दुर्लभ हैं। वास्कुलिटिस केवल एक अंग, या कई को प्रभावित कर सकता है। सी**ऑनडिशन अल्पकालिक या लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है।**
- **लक्षण:** बुखार, सिरदर्द, थकान, वजन घटाने, सामान्य दर्द, और दर्द।
- वास्कुलिटिस का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है। कुछ प्रकार किसी **व्यक्ति के आनुवांशिक मेकअप** से संबंधित होते हैं। अन्य **लोग गलती से रक्त वाहिका कोशिकाओं पर हमला करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली के परिणामस्वरूप होते हैं।** इस प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया के लिए संभावित **ट्रिगर्स में शामिल हैं: संक्रमण, जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी; रक्त कैंसर; प्रतिरक्षा प्रणाली रोग, जैसे कि रूमेटोइड गठिया, ल्यूपस, और स्क्लेरोडर्मा; कुछ दवाओं के लिए प्रतिक्रियाएं।**

लैंग्या हेनिपावायरस (लेव)

- एक नया वायरस जो जानवरों से मनुष्यों में कूद सकता है, चीन में 35 लोगों के पहले से ही संक्रमित होने के साथ पता चला है। इसे लैंग्या हेनिपावायरस (एलएवाईवी) कहा जाता है - और पूर्वी चीन के दो प्रांतों में पाया गया है।
- लेव एक **जूनोटिक हेनिपावायरस** का एक उदाहरण है। वायरस **हेनिपावायरस परिवार** में है। दो प्रजातियों की पहचान पहले भी की जा चुकी है; **हेंड्रा वायरस - पहली बार उसी नाम के ब्रिस्बेन उपनगर में पाया गया - और निपाह वायरस**, दोनों गंभीर संक्रमण का कारण बनते हैं और कभी-कभी घातक होते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन **हेनिपावायरस को जैव सुरक्षा स्तर 4 खतरे के रूप में** वर्गीकृत करता है। **मामले की मृत्यु दर 40 से 75 प्रतिशत के** बीच होती है, डेटा से पता चलता है।
- दो दर्जन से अधिक जंगली जानवरों के परीक्षण के परिणाम बताते हैं कि **श्रेव - एक छोटा तिल की तरह स्तनधारियों - लेव का एक प्राकृतिक जलाशय हो सकता है।**
- मौजूदा रोगियों को जानवरों के साथ संपर्क का इतिहास था।
- लेव के लक्षणों में शामिल हैं: **बुखार, थकान, खांसी, भूख की कमी, मांसपेशियों में दर्द, मतली, सिरदर्द और उल्टी।**